महिला सशक्तीकरण खुशहाली का मूल मंत्र है - लोक सभा अध्यक्ष

जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड, 5 सितम्बर, 2014 : लोक सभा अध्यक्ष, श्रीमती सुमित्रा महाजन, जो 4 से 5 सितम्बर, 2014 तक जेनेवा (स्विट्ज़रलैंड) में संसदों की महिला अध्यक्षों की नौवीं वार्षिक बैठक में भाग ले रही हैं, ने ''*महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण हेतु अनुकूल वातावरण तैयार करना*'' विषय पर मुख्य भाषण दिया ।

भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि किसी सभ्यता के महत्व का पता इस बात से चलता है कि वहां महिलाओं की स्थिति कैसी है। हमारी संस्कृति और लोकाचार में महिलाओं को उचित ही सम्मानित दर्जा दिया गया है । वे जीवन और धर्म का अभिन्न अंग हैं । भारतीय पौराणिक कथाओं में महिलाओं के *शक्ति* अथवा *आदि शक्ति* के रूप में और *शिव शक्ति* अथवा *अर्द्धनारीश्वर* के वर्णन से यह सिद्ध होता है कि महिलाओं और पुरुषों का अस्तित्व एक दूसरे से अलग नहीं है, अपितु वे एक दूसरे के पूरक होते हैं। उनमें समान गुण, योग्यताएं और सामर्थ्य है ।

श्रीमती महाजन ने कहा कि भारतीय मान्यता के अनुसार, हमारा समाज सर्वसमावेशी है क्योंकि पुरुषों और महिलाओं का अस्तित्व एक दूसरे से अलग न होते हुए परिवार और सम्पूर्ण समाज में एक दूसरे पर निर्भर होता है। पुरुष और महिलाएं मिलकर ब्रह्माण्ड को श्रेष्ठ (आर्यम) बनाते हैं । उन्हें सामाजिक-आर्थिक प्रगति के लाभ संयुक्त रूप से प्राप्त होते हैं । तदनुसार पुरुषों और महिलाओं को समान रूप से विकास की प्रक्रिया में भाग लेना चाहिए क्योंकि इससे समावेशी वृद्धि, सतत विकास और दीर्घकालीन समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अधिक न्यायसंगत और बेहतर विश्व के निर्माण के लिए देशों की सामाजिक और आर्थिक नीतियों में महिलाओं को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए क्योंकि महिला सशक्तीकरण खुशहाली का मूल मंत्र है।

इस अवसर पर, श्रीमती महाजन ने संसद और भारत सरकार द्वारा महिलाओं को शक्तिसंपन्न बनाने और राजनीतिक प्रक्रियाओं में उनकी सक्रिय सहभागिता और उपलब्धियों को बढ़ावा देने के लिए उठाये जा रहे विभिन्न क़दमों का उल्लेख किया। उन्होंने उपस्थित विशिष्टजनों को बताया कि महिलाओं को कार्य के लिए प्रोत्साहित करने और उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए संसद ने न्यूनतम मजदूरी का भुगतान, बच्चों की देखभाल की व्यवस्था, सम्मानपूर्ण और सुरक्षित कार्य स्थितियां और बुनियादी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अनेक कानून बनाये हैं ।

इस बात का उल्लेख करते हुए कि वास्तविक सशक्तीकरण शिक्षा से ही संभव है, श्रीमती महाजन ने इस बात की सराहना की कि भारत में बालिकाओं और बालकों दोनों के सन्दर्भ में साक्षरता दर में सुधार हुआ है। तथापि उन्होंने इस बात पर खेद व्यक्त किया कि भारत में महिलाओं को जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है । उन्होंने कहा कि संसद की महिला अध्यक्ष होने के नाते यह सुनिश्चित करना महिला अध्यक्षों का दायित्व है कि संसद द्वारा बनाये गए क़ानून महिलाओं के प्रति अनुकूल हों और संसद महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सकारात्मक वातावरण तैयार करने के लिए आदर्श संस्था के रूप में कार्य करे।

अपनी प्रस्तुति के अंत में उन्होंने लोक सभा सचिवालय में महिलाओं के लिए स्वस्थ और सुरक्षित कार्य स्थितियां सुनिश्चित करने के लिए उठाये जा रहे क़दमों का उल्लेख किया और कहा कि आवश्यकता इस बात की है कि हम अपनी सोच बदलें ।